Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांसवाड़ा में पुलिस निरीक्षक व दलाल 2,50,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 24 अप्रेल, गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी बांसवाड़ा द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री दिलीप सिंह, पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना राज तालाब जिला बांसवाड़ा व श्री शरीफ खान पेशे से दलाल (वकील) निवासी इन्दिरा कॉलोनी बांसवाड़ा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी बांसवाड़ को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादीया के एवं उसके परिवार के सदस्यो के विरूद्ध पुलिस थाना राजतालाब द्वारा सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही करते हुए उनके वाहन जप्त किए थे शेष बचे हुए वाहनों और सम्पत्ति को जप्त नहीं करने व भविष्य में परेशान नहीं करने की एवज में पुलिस निरीक्षक द्वारा दलाल श्री शरीफ खान वकील के मार्फत रिश्वत राशि 6,50,000/– रूपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है जिस पर दिनांक 22.04.2025 एवं 23.04.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया गया जिसमें आरोपी दलाल द्वारा सत्यापन के दौरान कुल 3,50,000/–रूपये रिश्वत राशि लेने को सहमत हुआ तथा 1,00,000/– रूपये वक्त सत्यापन पुलिस थाना राजतालाब परिसर में ग्रहण किए गए।

जिस पर एसीबी रेंज उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरविजन में एसीबी चौकी बांसवाड़ा के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ऋषिकेश मीना** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी दलाल श्री शरीफ खान वकील को बकाया 2,50,000/– रूपये आरोपी श्री दिलीप सिंह पुलिस निरीक्षक के लिए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा श्री दिलीप सिंह, पुलिस निरीक्षक को भी उक्त रिश्वत लेन–देन मामले में संलिप्तता होने से गिरफ्तार कर लिया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।